जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के द्वारा
चन्द्रावती देवी (विधवा) को विधिक सेवा प्रदान किया जाना

वर्ष 2011 के उत्तरार्ध में एक विधवा व बुजुर्ग महिला, जो अत्यंत गरीब दिखती थी, अक्सर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व अन्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष उपस्थित होती थी तथा न्याय दिलाने का गुहार लगाती रहती थी ।

बाद में अभिवक्तागण व न्यायालय कर्मचारियों व अधिवक्ता, लिपिक व वादकारियों के द्वारा पता चला कि वह विगत 8-10 वर्षों से न्यायालय के सभी पदाधिकारियों के यहाँ न्याय का गुहार लगाती रहती है । पीड़िता चन्द्रावती देवी के द्वारा जो कहानी बताई गई, वह किसी भी व्यक्ति के मनःस्थिति को झकझोर देने वाला था ।

चन्द्रावती देवी की शादी रामजी ओझा, ग्राम पूनक, थाना दरौला, जिला सिवान के साथ हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार 1965-67 के आस-पास हुआ था । चन्द्रावती देवी एवं रामजी ओझा से उसे एक पुत्री मीरा कुमारी हुई । रामजी ओझा के द्वारा पहली पत्नी चन्द्रावती देवी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली गई । कालान्तर में पति-पत्नी के बीच संबंध खराब होते गए तथा अन्ततः चन्द्रावती देवी के द्वारा अपने पति के विरूद्ध भरण-पोषण वाद 769/89/विविध वाद 116/88 दाखिल की, जिसका 07 सितम्बर 1989 को निर्णय/आदेश पारित हुआ तथा रामजी ओझा को निर्देशितकिया गया कि वे चन्द्रावती देवी व पुत्री मीरा कुमारी के लिए रू0 500/- प्रति माह भरण-पोषण खर्च देंगे । रामजी ओझा के द्वारा भरण-पोषण की राशि चन्द्रावती देवी को नही दी जाती थी । भरण-पोषण की राशि काफी मात्रा में बकाया हो जाने के कारण रामजी ओझा की संपत्ति दिनांक 21.10.2000 को नीलाम हो गई तथा उसका प्रकाशन जिला गजट सिवान में हुआ । नीलाम वाद संख्या 10/विविध-99-2000 में पारित आदेश के आलोक में नीलाम की भूमि पर डिक्रीदार चन्द्रावती देवी के नाम से दाखिल-खारिज हो गया । परन्तु पीड़िता चन्द्रावती देवी को दखल कब्जा नही प्राप्त हो सका । वर्तमान में रामजी ओझा की मृत्यु हो चुकी है ।

उल्लेखनीय है कि यह उपरोक्त तथ्य वर्ष 2011 के पूर्व की है । चन्द्रावती देवी एवं अन्य के द्वारा जो वस्तु स्थिति बताया गया उससे यह स्पष्ट हुआ है कि चन्द्रावती देवी पीड़िता मैरवा (हरे राम मंदिर) सिवान में एक मंदिर में रहती है तथा प्रतिदिन न्यायालय में आकर सभी पदाधिकारियों के पास न्याय की गुहार करती है तथा भीख माँगकर अपनी जीविका चलाती है । उसका मायका व ससुराल से अब कोई वास्ता नही रह गया है । इस बीच वह अपनी लड़की की शादी भी कर चुकी है ।

चन्द्रावती देवी के मुकदमा से संबंधित कोई कागजात उसके पास (चन्द्रावती देवी) उपलब्ध नही था । अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के द्वारा एक रिटेनर/पैनल अधिवक्ता श्री घनश्याम नाथ तिवारी को प्रतिनियुक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया है कि वे चन्द्रावती देवी के सभी कागजातों को खोज निकालें । जब आवश्यक कागजात उपलब्ध हो गया तो आवेदिका के द्वारा दखल-कब्जा दिलाने हेतु एक आवेदन दिया गया जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के द्वारा आवेदिका को नीलामी से प्राप्त जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया ।

चन्द्रावती देवी को नीलामी जमीन पर कब्जा नही हो पाने की स्थिति में तथा चन्द्रावती देवी के द्वारा इच्छा भी व्यक्त की, कि वह अब लगभग 70 वर्ष की हो चुकी है । अतः जमीन को बिक्री कराकर उसके खाता में ही पैसा जमा किया जाए । तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के सहयोग से उसकी (चन्द्रावती देवी) की नीलामी से प्राप्त कुछ जमीन को बेचकर उसके सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिवान के खाता सं0 3035788771 में दिनांक 03.08.2015 को रू0 49500/- जमा कराया गया है ।

इस तरह वर्षों तक न्याय के लिए भटकी हुई एक गरीब, विधवा, बेसहारा, बुजुर्ग महिला को विधिक सेवा प्राधिकार मदद करने में सफल रहा ।